राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या – 10/राज. राज्य एवं अधी. सेवाएं/2011–12

दिनांक : 09.03.2012

आयोग के विज्ञापन संख्या–11/विज्ञापन/परीक्षा/राज्य–अधी./2011–12 दिनांक 06.02.2011 एवं शुद्धि पत्र संख्या– 10/राज. राज्य एवं अधी. सेवाएं/2011–12 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं प्रतियोगी, 2012 परीक्षा के पद विज्ञापित किए गए थे जिनके संबंध में यह अधिसूचित किया जाता है कि:–

राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग ने एक अधिसूचना क्रमांकःएफ 7(2)डीओपी/ए–II/84 लूज दिनांक 06.03.2012 जारी कर राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 में संशोधन किया है जिसके अनुसार अब निम्नानुसार संशोधन किया जाता है कि :–

1. उक्त विज्ञापन के विस्तृत विज्ञापन के बिन्दु संख्या 7 के उप बिन्दु (2) तथा संक्षिप्त विज्ञापन में ''अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु आरक्षित पदों के संबंध में'' शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई अभिव्यक्ति ''**आयु :– अराजपत्रित कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी, 2013 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो परन्तु 40 वर्ष का नहीं हुआ हो।**'' को अब ''**आयु :– अराजपत्रित कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी, 2013 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो परन्तु 45 वर्ष का नहीं हुआ हो**'', पढ़ा जावे।
2. उक्त विज्ञापन के विस्तृत विज्ञापन के बिन्दु संख्या 8 के उप बिन्दु (5 और 7) के अन्तर्गत आई अभिव्यक्ति ''**अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी**'' के स्थान पर अब ''**अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी**'', **पढ़ा जावे।**
3. आयोग के उक्त विज्ञापन के तहत आवेदन करने की अन्तिम दिनांक **10.03.2012 से बढ़ाकर अब अन्तिम दिनांक 20–03–2012 को रात्रि 12–00 बजे तक कर दी गई है। (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।)** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन–पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. **उक्त पदों हेतु जिन आवेदकों ने पूर्व में उक्त विज्ञापन के तहत आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।**
5. अन्य शर्तें उक्त विज्ञापन एवं शुद्धि–पत्र के अनुसार यथावत रहेगी।

(सी.एल. दायमा)
उप सचिव (प्रशासन)